

प्रेस नोट थाना सदर बाजार दिनांक 20-08-2020

जनपद सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय एटीएम चोरो/लूटेरो गिरोह के 25,000/- रुपये के ईनामी अभियुक्त को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस व एटीएम चोरी 15000/- रुपये नगद सहित किया

गिरफ्तार:-

अवगत कराना है, कि जनपद मे अपराधियो के विरुद्ध चलाए जा रहे वांछित व ईनामी अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी व घटना में फरार अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु गठित थाना सदर बाजार टीम के द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान आज दिनांक 20/8/2020 को समय करीब 00.20 बजे मुखबिर खास की सूचना पर बिजली घर के सामने रोड़ आईटीसी लोडिंग गेट के पास अभि० समशूद्दीन पुत्र मो० हसन निवासी शाहपुर थाना गंगोह स०पुर को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कार० व थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु०अ०सं० 297/20 से सम्बन्धित 15 हजार रूपये सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। यह एटीएम चोरी करने वाले गैंग का सदस्य है। यह गैंग हरियाणा, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली (राज्य) मे काफी दिनों से सक्रिय होकर रात्रि मे हथियारो से लैस होकर सुनसान क्षेत्र मे एटीएम के पास रैकी कर एटीएम को उखाडकर ले जाते थे और इन एटीएम से जो पैसे निकलते थे वो आपस मे सभी लोग बाँट लेते थे। यह गैंग गंगोह थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एटीएम चोरी कर पैसे निकलाने के बाद एटीएम को खुर्द बुर्द कर यमुना नदी के आस पास लगी पलेजो मे छुपा देते थे। यह गैंग पहले कैथल हरियाणा व उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड, व दिल्ली (राज्य) मे कई घटनाओ को अंजाम दे चुका है। जिसके सम्बन्ध मे अन्य राज्य/जनपदो मे मुकदमे दर्ज है। पूर्व मे जनपद कैथल जिन्द, हरियाणा मे भी इस अभियुक्त व इसके गैंग के साथियो की पुलिस से मुठभेड हो चुकी है। जिसके सम्बन्ध मे जनपद कैथल मे अभियोग दर्ज है। यह गैंग बुलैरो पिकप गाडी चूँकि पिअकप गाडी की पावर ज्यादा होती है, का इस्तेमाल कर एटीएम को रस्सा डालकर उखाड लेते थे और किसी सुनसान जगह पर छेन्नी, हथोडो, कटर आदि उपकरणो से एटीएम को तोडकर एटीएम से रुपयो को निकाल कर आपस मे बाँट लेते थे। घटना के दौरान एटीएम मशीन के पास लगे सीसीटीवी कैमरो के यह गैंग तोड देते थे ताकि इनकी पहचान न हो सके। यह गैंग इस तरह की घटनाओ के दौरान अगर पुलिस मौके पर आ जाती थी तो पुलिस पर फायरिंग कर भाग जाते थे। उक्त गैंग के द्वारा कारित घटनाओ से सम्बन्धित सीसीटीवी फुटेजो से अभियुक्तगणो एव महेन्द्रा बुलोरो पिकअप की पहचान की गई। इस गैंग के विरुद्ध अन्य राज्यों मे भी मुकदमे दर्ज है।

नाम पता अभियुक्त व अपराधिक इतिहास:-

समशूद्दीन पुत्र मो० हसन निवासी शाहपुर थाना गंगोह स०पुर

1. मु०अ०सं० 324/2020 धारा 420/467/468/471/307 भादवि थाना सदर बाजार स०पुर
2. मु०अ०सं० 411/2020 धारा 3/25 A Act थाना सदर बाजार स०पुर
3. मु०अ०सं० 234/20 धारा 457/380 भादवि थाना सदर जनपद जिन्द हरियाणा
4. मु०अ०सं० 111/20 धारा 457/380/461/120बी भादवि थाना पेहुवा हरियाणा
5. मु०अ०सं० 307/20 धारा 457/380/511 भादवि थाना पेहुवा हरियाणा
6. मु०अ०सं० 92/20 धारा 395 भादवि थाना पेहुवा हरियाणा
7. मु०अ०सं० 297/20 धारा 457/458/461/120बी /411 भादवि थाना सदर बाजार स०पुर
8. मु०अ०सं० 315/20 धारा 307 भादवि थाना सदर बाजार स०पुर

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
2. 15 हजार रूपये नगद (मु०अ०सं० 297/20 थाना सदर बाजार, स०पुर/ 25,000/-रूपये का ईनाम)

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/टीम के नाम :-

1. नि० श्री पंकज पन्त प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार मय टीम
2. व०उ०नि० श्री नीशू तोमर थाना सदर बाजार स०पुर
3. उ०नि० श्री लोकेन्द्र राणा थाना सदर बाजार स०पुर
4. है०का० 007 शहनवाज थाना सदर बाजार स०पुर
5. है०का० 512 राजवीर थाना सदर बाजार स०पुर
6. का० 1258 सुमित कुमार थाना सदर बाजार स०पुर